

प्रारूप-6

राजस्थान सरकार

## कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

—:आदेश:—

राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के अन्तर्गत श्री अब्दुल हफीज खान, व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) उर्दू, राबाउमावि. कामां भरतपुर जिनकी जन्म तिथि:—15.05.1962 ने दिनांक 31.07.2018 को आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 02.11.2018 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही है।

श्री अब्दुल हफीज खान, व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) उर्दू राबाउमावि. कामां भरतपुर पन्द्रह वर्ष की अर्हकारी सेवाएं पूर्ण करने पर पर संबंधी शर्त पूर्ण करते हैं। अतः राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के 50(1) के प्रावधानान्तर्गत इनकी दिनांक 02.11.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री अब्दुल हफीज खान के विरुद्ध आजतक—

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान बीकानेर

दिनांक 19-09-2018

क्रमांक: शिविरा/माध्य/सी-5/स्वै0सेवा/15629/18  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निदेशक, पेशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक) भरतपुर
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) भरतपुर
4. प्रधानाचार्य, राबाउमावि. कामां भरतपुर
5. श्री अब्दुल हाफीज खान
6. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर कार्यालय हाजा
7. गार्ड पंजिका

संयुक्त-निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर